संख्याः 332 / उच्च शिक्षा / 2003–3(54)2002

प्रेषकः

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा
हल्द्वानी(नैनीताल)

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 13 मई , 2004

विषयः– प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 627 / उच्च शिक्षा / 2003–3(54) 2002 दिनांक 15.07.2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2003–04 में विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में सम्वर्द्धन हेतु राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर तथा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश को चयनित कर विकसित किया गया है। द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2004–05) में प्रदेश के निम्नांकित तीन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में चयनित कर विकसित करने का निर्णय सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिया गया है–

1. एम0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)
2. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (अल्मोडा)
3. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।

इन विशिष्ट महाविद्यालयों के संदर्भ में उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.07.2003 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(एम0रामचन्द्रन)
अपर मुख्य सचिव

क्रमशः.....2 /

संख्या 332(1)/उच्च शिक्षा/2004–3(54) 2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव नियोजन, उत्तरांचल शासन।
4. कुल सचिव, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. एन0आई0सी0उत्तरांचल सचिवालय,देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 सुधांशु)
अपर सचिव